(31)

बअदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बईजलास :–रामरख मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–107/2016

1. ध्रुव कड़वा पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिह जाति जटसिक्ख साकिन लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. मेजर सिंह पुत्र महेन्द्र सिह जाति जटसिक्ख साकिन लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. सवराज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिक्ख साकिन लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
4. मनदीप सिह
5. कुलदीप सिंह } पुत्रगण जगसीर सिंह जाति जटसिक्ख साकिन लीलावाली तह.संगरिया हनुमानगढ (राज.)
6. रावताराम पुत्र सदासुख जाति जाट साकिन दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

घोषणा एंव विभाजन हेतु

उपस्थितः–

1. श्री आत्मा सिंह गोदारा एडवोकट –वादी
2. श्री सुनील टाड़ी एडवोकट प्रतिवादी सं. 6

दिंनाक 20.4.2017

निर्णय

वाद– पत्र के सक्षिप्त तथ्य प्रकार से है कि संगरिया के चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता सं. 8/13 में 3.036 है. खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 6 चक 3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 58/64 में 5.819 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। नकल चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 8/13 व 58/54 हमराह दावा प्रस्तुत है। कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घरू तौर पर काफी अरसा पूर्व घरू बंटवारा हो गया था प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 8/13 कि कृषि भूमि पर कभी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं है। उक्त कृषि भूमि पर हमेशा वादी की कब्जा काश्त रही है। और उक्त कृषि भूमि पर वादी बिना किसी बाधा के फसल काश्त करता आ रहा है। तथा उक्त बंटवारनामा के मुताबिक वादी व प्रतिवादी सं. 6 ने चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं. 8/13 के प.न.152/221 मु.न.57 के किला.न.21 का तबादला अपनी फसल काश्त की सुविधानुसार प्रतिवादी सं. 6 के चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 58/54 के प.न.152/222 मु.न.62 किला नं. 9 के साथ कर लिया है। उसके मुताबिक ही प्रतिवादी सं. 6काबिज होकर फसल काश्त करते आ रहा है। इसी प्रकार वादी को उक्त बंटवारना में निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

वादी ध्रुव कड़वा पुत्र श्री कृष्ण कुमार हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि का विवरणः– चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 8/13 पं.न.152/221 मु.न.57 किला नं. 22,23,24,25/0.253 है.पं.न. 152/222 मु.न.62 किला नं. 2,3,4,/0.253 है.5,6/0.215 है.7,8/0.253 है. कुल 2.707 है. नहरी व 0.076 है. गै.मु. रास्ता कृषि भूमि चक.न.3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 58/54 प.न.

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

222 मु.न.62 किला नं. 9/0.253 है. कि वादी को बंटवारानामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज व बिना किसी बाधा व आपति फसल काश्त करता आ रहा है। किन्तु वादी एंव प्रतिवादीगण का आपस में सीवबट एव रकमराज व पानी की बारी का सदैव ही झगड़ा बना रहता है। इस कारण वादीगण अब अपना खाता तकसीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवाने के मुस्त हक व दावेदार है। कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उन्हे वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया । बस यही विनाय दावा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के खिलाफ पक्षीय कार्यवाही की गई वादी एंव प्रतिवादी सं. 6 ने राजीनामा पेश हुआ जो वाद तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया प्रति.सं. 7 की ओर जवाबदावा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया वकील वादी साक्ष्य वादी में वादी ध्रुव कड़वा का शपथ पेत्र पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है। इसलिए साक्ष्य वादी व प्रतिवादी बन्द की जाती है। वादी की शहादत समाप्त की।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है एवं प्रकरण में विरोधाभास नहीं होने के कारण वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि तथा मेरे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया । प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाबदावा पत्रावली एंव रिकार्ड का अवलोकन एंव मनन करने के वाद वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उक्त के आधार पर वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 8/13 पं.न.152/221 मु.न.57 किला नं. 22,23,24,25/0.253 है.पं.न. 152/222 मु.न.62 किला नं. 2,3,4,/0.253 है.5,6/0.215 है.7,8/0.253 है. कुल 2.707 है. नहरी व 0.076 है. गै.मु. रास्ता कृषि भूमि चक.न.3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 58/54 प.न.152/222 मु.न.62 किला नं. 9/0.253 है. वादी का खाता अलग से कायम किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम कलमजन किया जाता है। व चक 3 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 8/13 पं.नं. 152/221 (57) का किला नं. 21 प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज किया जावें।

नियमानुसार पर्चा डिकी पृथक से जारी हो पत्रावली बाद तरतीब तकमील नं.म्बर से कम की जा जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.4.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(समुरथ मीना)
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिगरी एवं मुकद्दमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बइजलास – रामरख मीना (आर.ए.एस.)

1. ध्रुव कड़वा पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
– वादी

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिह जाति जटसिक्ख साकिन लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
2. मेजर सिंह पुत्र महेन्द्र सिह जाति जटसिक्ख साकिन लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. सवराज सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिक्ख साकिन लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
4. मनदीप सिह } पुत्रगण जगसीर सिंह जाति जटसिक्ख साकिन लीलावाली तह.संगरिया
5. कुलदीप सिंह } हनुमानगढ (राज.)
6. रावताराम पुत्र सदासुख जाति जाट साकिन दौलतपुरा तह.टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

घोषणा एंव विभाजन हेतु

यहं मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री आत्मा सिंह गोदारा एडवोकेट मिन जामिन मुद्दई श्री सुनील टाड़ी एडवोकेट मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं. 3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 8/13 पं.न.152/221 मु.न. 57 किला नं. 22,23,24,25/0.253 है.पं.न. 152/222 मु.न.62 किला नं. 2,3,4,/0.253 है.5,6/0.215 है.7,8/0.253 है. कुल 2.707 है. नहरी व 0.076 है. गै.मु. रास्ता कृषि भूमि चक.न.3 एल.एल.डब्ल्यू के खाता सं. 58/54 प.न.152/222 मु.न.62 किला नं. 9/0.253 है. वादी का खाता अलग से कायम किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम कलमजन किया जाता है। तथा चक 3 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 8/13 के पं.नं. 152/221 (57) का किला नं. 21/0.253 प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज किया जावें।

निज .... मुब्लिक .... बाबत ....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20-4-2022 को खुले न्यायालय में जारी किया गया

(रामरख मीना)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया।